पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 143
दिनांक 16.01.2025

जोन-दक्षिणी / थाना मोहनलालगंज

- कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26/12/2021 को वादी श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 चंद्रिका सिंह निवासी-ग्राम व पोस्ट आवाजापुर, जिला-चन्दौली द्वारा सूचना दिया गया कि प्रार्थी लखनऊ में जमीन खरीदने के लिये प्रयासरत था, कि उसी दरमियान प्रार्थी की मुलाकात राजेश चन्द्र पाण्डेय एवं संस्कार पाण्डेय से हुई।

उपरोक्त नामित व्यक्ति राजेश चन्द्र पाण्डेय एवं संस्कार तथा मो0 सकील एवं अन्य जो कि राजेश चन्द्र पाण्डेय के परिचित है उन सभी लोगों ने एक सोची समझी षडयन्त्र के तहत फर्जी एवं कूटरचना करके विभिन्न कूटरचित दस्तावेज बनाकर जिस व्यक्ति के नाम जमीन भी नहीं है उस व्यक्ति से राजेश चन्द्र पाण्डेय एवं संस्कार पाण्डेय ने प्रार्थी के पक्ष में फर्जी बैनामा करवा दिया है तथा प्रार्थी की धनराशि 31,18,000 रू0 भी हड़प लिये है। इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज लखनऊ में मु0अ0सं0 601/21 धारा 406/420/467/468/471/506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

साक्ष्य संकलन से यह पाया गया कि अभियुक्त राजेशचन्द्र पाण्डेय द्वारा अपने पुत्र संस्कार पाण्डेय के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा कर फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर उदयपुर निगोहा स्थित भूमि को वादी अवधेश सिंह को बैनामा कर दिया गया था।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का व्यक्ति है जो कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाला शातिर व आदतन अभियुक्त है जो विक्रेता को बहला फुसला कर सम्पर्क करते हुए उसके साथ धोखाधड़ी करता है। जिसके विरुद्ध अन्य धोखाधड़ी के मुकदमें पंजीकृत है।

अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु 02 टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 16/01/2025 को अभियुक्त राजेश चन्द्र पाण्डेय को MI रशल कोर्ट अपार्टमेन्ट टावर 4 फ्लैट न0 202 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया जिसे मा0न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

02- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राजेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र सुरेश चन्द्र पाण्डेय मूल पता 46/11/ए/2ए गणेश नगर थाना कैण्ट जनपद प्रयागराज हालपता- MI रशल कोर्ट अपार्टमेन्ट टावर 4 फ्लैट न0- 202 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी जनपद लखनऊ, उम्र 58 वर्ष, व्यवसाय- प्रापर्टी डीलर

बरामद करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ.नि0 विश्वनाथ प्रताप सिंह क्राइम टीम/सर्विलांस प्रभारी
2. हे.का0 आजम क्राइम टीम उत्तरी
3. हे.का0 नदीम क्राइम टीम उत्तरी
4. हे.का0 अवधेश गिरी क्राइम टीम उत्तरी
5. हे0का0 सन्तोष कुमार सर्विलांस सेल उत्तरी
6. हे0का0 अमित गौतम सर्विलांस सेल उत्तरी
7. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह मीडिया सेल
8. का0 विशेष दुहूण उत्तरी जोन

9.म0का0 प्रिया मीडिया सेल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-142
दिनांक-16.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-मडियांव

ई-रिक्शा चोरी करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए किया गया मुकदमे का सफल अनावरण ।

- ई-रिक्शा चोरी करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।
- चोरी किया गया 01 अदद ई-रिक्शा व 04 अदद बैट्री (ई रिक्शा) बरामद ।
- थाना मड़ियावं पुलिस टीम की सफलता।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.01.2025 को आवेदक श्री इस्हाक पुत्र मोहम्मद अशफाक अली निवासी ग्राम कोटवा थाना बीकेटी जनपद लखनऊ उम्र करीब द्वारा बावत ई- रिक्शा नं0- UP32RN0760 अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दाखिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । दिनांक 15.01.2025 को थाना मडियांव लखनऊ की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में विंध्यांचल डेयरी मोड़ पर मौजूद थी।

जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति चोरी के ई रिक्शा व बैटरी के साथ प्रियदर्शनी कालोनी में खाली प्लाट में ई रिक्शा पर बैठे हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। मुखविर खास द्वारा बताये गये व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम **01-पप्पू सोनी उर्फ सुशील कुमार सोनी** पुत्र स्व0 रामबली सोनी निवासी जोगस पार्क के सामने झोपड़पट्टी थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष तथा दूसरे ने व्यक्ति ने अपना नाम 02-**संतोष सोनी** पुत्र स्व0 रामकिशोर निवासी बरावनकला चार मंजील कालोनी थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष बताया ।

पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से एक अदद ई रिक्शा वाहन संख्या UP32RN0760 तथा चार अदद बैटरी बरामद किया गया।पकड़े गये व्यक्तियों/अभियुक्तों को उनके द्वारा कारित जुर्म व मु0अ0सं0 36/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए हिरासत में लिया गया।

दौराने गिरफ्तारी/निगरानी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया । विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का तरीका/उद्देश्य-

➢ अभियुक्तगण द्वारा ई रिक्शा चोरी करके बेचना तथा बेचकर अपना खर्चा चलाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

1. पप्पू सोनी उर्फ सुशील कुमार सोनी पुत्र स्व0 रामबली सोनी निवासी जोगस पार्क के सामने झोपड़पट्टी थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष (व्यवसाय- ई रिक्शा चालक)
2. संतोष सोनी पुत्र स्व0 रामकिशोर निवासी बरावनकला चार मंजील कालोनी थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष (व्यवसाय-आटो चालक)

04-बरामदगी:-

➢ एक अदद ई रिक्शा वाहन संख्या UP32RN0760

➢ चार अदद बैटरी

पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0सं0 36/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात थाना-मडियांव

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना-मडियांव

1. उ0नि0 श्री अमित साहू
2. उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्रा
3. उ0नि0 श्री आदित्य द्विवेदी
4. हे0का0 रामदिनेश
5. का0 नरेन्द्र प्रताप यादव
6. का0 सागर तोमर
7. का0 ऋषि यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं 144
दिनांक-16.01.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-चिनहट

- **कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जीवाड़ा करने वाले प्रकरण का किया सफल अनावरण।**
- **फर्जीवाड़ा करने वाले 03 शातिर अभियुक्त व 01 शातिर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

वादी मुकदमा श्रीराम मूर्ति पुत्र सहायक लेखाकार सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लि0 प्रधान कार्यालय-6 सरोजनीनगर नायडू मार्ग लखनऊ द्वारा सरकारी जमीन को आपराधिक षडयंत्र के तहत आम जन-मानस को उक्त सरकारी जमीन धोखाधड़ी करके अपनी जमीन बताते हुए कूटरचित अभिलेखों के आधार पर धोखाधड़ी करके अनुचित लाभ कमाने की नियत से फर्जीवाड़ा करने के संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-22/23 धारा-406/420/467/468/471/504/506/323 भादवि दिनांक 16.01.2023 को अभियोग पंजीकृत किया गया।

जिसकी विवेचना म0उ0नि0 श्री सरिता यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। जिसमें आज अभियुक्तगण 01. रामपाल पुत्र स्व कल्लू यादव निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 72 वर्ष 2. शिव कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र स्व मिश्री लाल निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 40 वर्ष 3. राकेश यादव पुत्र स्व रामचरन यादव निवासी गनेशपुर रहमानपुर थाना चिनहट लखनऊ उम्र 26 वर्ष 4. गुड्डन देवी पत्नी स्व रामचरन यादव निवासी गनेशपुर रहमानपुर थाना चिनहट लखनऊ उम्र 50 वर्ष को दिनांक 16.01.2025 को कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट से को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रामपाल पुत्र स्व कल्लू यादव निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 72 वर्ष
02. शिव कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र स्व0 मिश्री लाल निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट लखनऊ उम्र 40 वर्ष
03. राकेश यादव पुत्र स्व रामचरन यादव निवासी गनेशपुर रहमानपुर थाना चिनहट लखनऊ उम्र 26 वर्ष
04. गुड्डन देवी पत्नी स्व रामचरन यादव निवासी गनेशपुर रहमानपुर थाना चिनहट लखनऊ उम्र 50 वर्ष

03-वांछित अभियुक्तों का विवरण:-

01.श्री मधुराम पुत्र स्व0 कल्लू निवासी 22 वृजमोहनपुरी ग्राम कंचनपुर मटियारी आदर्श नगर लखनऊ,
02.श्री मनोज कुमार यादव पुत्र स्व0 राम गोपाल निवासी 636 जी/99 ग्राम कंचनपुर मटियारी लखनऊ

04-पंजीकृत अभियोग-

01.मु0अ0सं0-22/23 धारा-406/420/467/468/471/504/506/323 भादवि थाना चिनहट लखनऊ

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना चिनहट -

01.म0उ0नि0 श्री सरिता यादव कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ।
02.का0 शिवानन्द खरवार कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ
03.का0 विनय शुक्ला कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ
04.का0 विकास राघव कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ
05.का0 सूरज कुमार भारती कोतवाली चिनहट जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं. 146
दिनांक-16.01.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- अलीगंज

- **01 शातिर लुटेरा थाना अलीगंज व थाना मडियांव की संयुक्त पुलिस टीम से मुठभेड़ (घायल) में गिरफ्तार किया गया।**
- **घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल प्लेटिना नं0 यू0पी0 30 बीबी 7242 व**
- **01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस एवं**
- **एक चैन पैण्डिल सहित (पीली धातु) बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.01.2025 कोथाना हाजा की पुलिस टीम तथा थाना मड़ियांव की पुलिस टीम चेकिंग मे मामूर होकर थाना क्षेत्र में अपराध और अपराधियो पर अंकुश लगाने के हेतु बात चीत की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 11.01.25 को सेक्टर डी मे एक बुजुर्ग महिला से चेन छीनने वाले अपराधी राम राम बैंक की तरफ दिखे हैं आज फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में राम राम बैंक की ओर से मामा चौराहा की ओर आ रहे हैं।

तत्परता दिखाते हुए समस्त पुलिस टीम के साथ गोयल पुलिस चौकी से राम राम बैंक की ओर जाने वाले रोड पर केन्द्रीय विद्यालय तथा पोस्टल ग्राउण्ड के बीच सड़क पर केन्द्रीय विद्यालय मोड़ के थोड़ा पहले पहुंचे जहाँ एक मोटरसाईकिल की लाईट देखते ही संदेह होने पर चेकिंग के उद्देश्य से प्रभारी निरीक्षक अलीगंज द्वारा अन्य हमराहीयान की मदद से रुकने का इशारा टार्च के द्वारा किया गया तो दोनों सवार मो0सा0 की गति और बढ़ाये जब तक पुलिस टीम सम्भल पाती कि पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा लिये हुए पिस्टल से पुलिस वालों के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे, जो प्रभारी निरीक्षक अलीगंज के कान के पास से निकल गयी तथा अन्य पुलिस वाले भी किसी तरह सिखलाई विधि से जान बचाये प्रभारी निरीक्षक अलीगंज द्वारा आत्मसमर्पण किये जाने हेतु ललकारने पर पुनः उनके द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया जिससे बाल बाल बचे कि अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए तथा अपने जीवन की परवाह किये बिना आगे बढ़े जिस पर पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी।

जब अपराधियो के तरफ से फायरिंग होना बन्द हो गया तो पुलिस बल द्वारा सतर्कता पूर्वक जाकर देखा गया तो एक अपराधी सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा था तथा उसके पास असलहा गिरा पड़ा था तथा अभियुक्त का एक साथी मौके से भाग गया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में की जा रही है।

पकड़े गये अभियुक्त राजीव श्रीवास्तव पुत्र स्व0रमेश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी 613/154 फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष ज्ञात हुआ।

अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल प्लेटिना नं0 यू0पी0 30 बीबी 7242 व अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद खोखा कारतस .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं एक अदद चेन पैण्डिल सहित पीली धातु बरामद हुआ है। अभियुक्त उपरोक्त को इलाज हेतु ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के स्वस्थ होने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

<u>02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1. राजीव श्रीवास्तव पुत्रि स्व0 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव नि0 613/154 फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ उम्र 45 वर्ष

- **घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल प्लेटिना नं0 यू0पी0 30 बीबी 7242**
- **01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर**
- **01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर**
- **01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर**
- **एक चैन पैण्डिल सहित पीली धातु बरामद**

<u>03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त अजय यादव उपरोक्त का विवरण</u>

1. मु0अ0सं0 796/2017 धारा 307 भादवि थाना गाजीपुर लखनऊ
2. मु0अ0सं0 798/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ
3. मु0अ0सं0 033/2020 धारा 307/394/411 भादवि थाना इन्दिरानगर लखनऊ
4. मु0अ0सं0 400/20 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना चौक जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0 006/2021 धारा 120बी/392/411 भादवि थाना हसनगंज लखनऊ
6. मु0अ0सं0 011/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हसनगंज लखनऊ
7. मु0अ0सं0 045/2024 धारा 323/498ए/504/506 भादवि थाना मड़ियाव लखनऊ
8. मु0अ0सं0 254/2024 धारा 238/309(4)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना महानगर लखनऊ
9. मु0अ0सं0 009/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना अलीगंज लखनऊ
10. मु0अ0सं0 010/2025 धारा 109/352/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना अलीगंज लखनऊ

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>

<u>सर्विलांस/क्राइम टीम डीसीपी उत्तरी-</u>

1. उ0नि0 श्री विश्वनाथ प्रताप सिह, श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तरी क्राइम टीम प्रभारी लखनऊ।
2. हे0का0 नदीम,
3. हे0का0 अवधेश गिरी
4. हे0का0 आजम
5. हे0का0 सन्तोष कुमार
6. हे0का0 अमित गौतम
7. का0 विशेष दुहूण।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-138
दिनांक-16.01.2025

जोन- पूर्वी/थाना-आलमबाग

- **नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **पीडिता/अपहृता को किया गया बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.01.2025 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिग बेटी को नादिर नामक युवक निवासी मवैया जो कि मूल रूप लखीमपुर खीरी ग्राम बिनौरा थाना पडुहा का है। नादिर आज सुबह लगभग 4.00 बजे प्रार्थी की बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया, वादी की बेटी 80000/-अस्सी हजार रु0 नगद और कीमती जेवरात लिये हुए है। वादी की बेटी संग किसी भी अनहोनी की शंका भी बनी है।

जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/2025 धारा 137/87 बीएनएस थाना आलमबाग लखनऊ पंजीकृत कराया गया।

थाना आलमबाग पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त नादिर पुत्र छोटन्ने नि0 ग्राम बिनौरा थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी हाल पता राजकुमार का किराये का मकान, शर्मा चक्की के पास मवैया थाना आलमबाग लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष को सीपीएच तिराहे से दिनांक 15.01.2025 को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

अभियुक्त नादिर पुत्र छोटन्ने उपरोक्त द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने के सबंध में।

03-नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.नादिर पुत्र छोटन्ने नि0 ग्राम बिनौरा थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी हाल पता राजकुमार का किराये का मकान ,शर्मा चक्की के पास मवैया थाना आलमबाग लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 183/2024 धारा 379 भादवि थाना पढुआ जनपद लखीमपुर खीरी

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अंकुर आनन्द थाना आलमबाग लखनऊ
2. उ0नि पवन चौहान थाना आलमबाग लखनऊ
3. का0 दिनेश देशवाल थाना आलमबाग लखनऊ

थाना अलीगंज / मड़ियांव पुलिस टीम-

1. श्री विनोद कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. श्री शिवानन्द मिश्र प्रभारी निरीक्षक थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ
3. उ0नि0 श्री सिद्धार्थ जायसवाल थाना अलीगंज लखनऊ
4. उ0नि0 श्री विनय कुमार मिश्र थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
5. उ0नि0 श्री राजदीप चौधरी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
6. उ0नि0 श्री आलोक कुमार चौधरी थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ
7. का0 दिग्विजय यादव थाना मड़ियांव जनपद लखनऊ
8. का0 विपिन कुमार वर्मा थाना अलीगंज लखनऊ
9. का0 रजत यादव थाना अलीगंज लखनऊ
10. का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह थाना अलीगंज लखनऊ